

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 101/2025 बउनवानी अकमल खॉ बनाम तहसीलदार मलारना डूंगर

निवासी बेहतेड मलारना डूंगर

GCMS No-2025/ 236

Appeal Number- 321040900806804

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख
हुकम
17.9.2025

प. न. अ. सं. ३०
अ. सं. ३०
प. न. अ. सं. ३०

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपरिथत नही हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "ग्राम पंचायत बेहतेड मे ड्रोन सर्वे के बाद आबादी व गैर आबादी क्षेत्र का नक्शा एवं प्रशासन गांवों के प्रमाणित सूचना" तहसीलदार मलारना डूंगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: विविध/आरटीआई/2025/709 दिनांक 17.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना का संबंध विकास अधिकारी पंचायत समिति मलारना डूंगर से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति मलारना डूंगर को अपीलान्त को उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाने पर विकास अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 6972 दिनांक 1.9.2025 से सरपंच ग्राम पंचायत मलारना डूंगर को लिखा गया। विकास अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 7193 दिनांक 16.9.2025 से अवगत कराया कि सरपंच ग्राम पंचायत मलारना डूंगर द्वारा दिनांक 3.9.2025 को अपीलान्त को चाही गयी सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध ग्राम पंचायत मलारना डूंगर से होने के कारण अपीलान्त को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत विकास अधिकारी पंचायत समिति मलारना डूंगर को लिखा जाने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति मलारना डूंगर द्वारा जरिये पत्रांक 7193 दिनांक 16.9.2026 से अवगत कराया कि चाही गयी सूचना के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत मलारना डूंगर द्वारा अपने पत्रांक ग्रा.प./2025-26/स्पे दिनांक 3.9.2025 से अपीलान्त को चाही गयी सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। यद्यपि चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र अधिनियम की तय समय सीमा मे संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित नही किया है जो खेदजनक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य मे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर /ऑफ लाईन प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण किया जावे एवं साथ ही ऑन लाईन पोर्टल नियमित खोलकर जाँच की जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्त का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(काना 
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर